प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 1100/1999

अपीलार्थी - गुड्डू उर्फ परमेश्वर, पिता अजूराम जायसवाल, आयु 21 वर्ष, निवासी ग्राम गेडापाली, थाना बिलाईगढ़, जिला रायपुर (म.प्र.)

बनाम

प्रत्यर्थी - मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़), द्वारा पुलिस थाना बिलाईगढ़, जिला रायपुर (म.प्र.)

.....

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

अपीलार्थी की ओर से श्रीमती उषा चंद्राकर, अधिवक्ता।

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से श्री सुधीर बाजपेयी, उप शासकीय अधिवक्ता।

.....

मौखिक निर्णय

(दिनांक 23.03.2007 को प्रदत्त)

(1) अभियुक्त/अपीलार्थी ने यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बलौदा बाजार द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 209/1993 में दिनांक 24.06.1998 को पारित निर्णय की वैधता, औचित्य एवं शुद्धता को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अर्जुन लाल की हत्या कारित करने का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है, तथा अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक वर्ष के सश्रम कारावास का अतिरिक्त दंड अधिरोपित किया है।

(2) अभियोजन का संक्षिप्त मामला यह है कि दिनांक 27.11.1992 को मृतक अर्जुन लाल झाड़ियों की टहनियाँ लाने हेतु जंगल गया था, किंतु वह वापस नहीं लौटा। लगभग तीन माह पश्चात्, दिनांक 07.03.1993 को जब अ.सा. 3 मोहन (मृतक का बड़ा भाई) एवं अ.सा.6 नीरा बाई (मृतक की बहन) जंगल गए, तो वहाँ उन्हें एक बनियान, अंतःवस्त्र तथा खोपड़ी की हड्डी दिखाई दी। वे घर लौटे और यह सूचना अपने पिता फिरतराम को दी। इसके पश्चात् वे पुनः घटनास्थल गए और वहाँ खोपड़ी की हड्डी, अन्य हड्डियाँ तथा कपड़े देखे। दिनांक 08.03.1993 को प्रातः लगभग 8:45 बजे फिरतराम ने थाना बिलाईगढ़ में मर्ग सूचना (प्र.पी./1) दी, जिसमें बताया कि उसका पुत्र दिनांक 27.11.1992 को लामीडोंगरी के जंगल में झाड़ियों की टहनियाँ लाने गया था और वापस नहीं लौटा। चूंकि उसका पुत्र जीविकोपार्जन हेतु इलाहाबाद, कोरबा एवं बलौदा बाजार जाया करता था और कुछ समय बाद लौट आता था, इसलिए उसने प्रारंभ में यह समझा कि वह कहीं काम करने गया होगा। तथापि, वह अपने पुत्र की तलाश करता रहा। दिनांक 07.03.1993 को नीरा, मोहन एवं अन्य ग्रामीणों ने जंगल में कपड़े एवं हड्डियाँ देखीं और उसे सूचित किया। इस सूचना पर थाना प्रभारी ने मर्ग सूचना दर्ज कर, पंचों को सूचना (प्र.पी./2) देकर घटनास्थल पर जाकर हड्डियों एवं कपड़ों का पंचनामा (प्र.पी./3) तैयार किया। अभियुक्त से प्र.पी./4 के तहत एक सूती लुंगी एवं अंतःवस्त्र जब्त किए गए। फिरतराम के कथन पर प्र.पी./5 के तहत एक हरे रंग की लुंगी, पत्थर, रक्तरंजित मिट्टी एवं साधारण मिट्टी जब्त की गई। प्र.पी./6 के तहत खोपड़ी की हड्डी एवं बाल भी जब्त किए गए। घटनास्थल से प्र.पी./7 के तहत एक बनियान, एक अंतःवस्त्र एवं हड्डियों के 5 टुकड़े जब्त किए गए। पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त ने कुल्हाड़ी के संबंध में ज्ञापन (प्र.पी./8) दिया, जिसके आधार पर प्र.पी./11 के तहत कुल्हाड़ी बरामद की गई। इसी प्रकार उसने पत्थर (जो अपराध का हथियार बताया गया) के संबंध में ज्ञापन (प्र.पी./9) दिया, जिसके आधार पर प्र.पी./10 के तहत उसे बरामद किया गया। जब्त हड्डियों को प्र.पी./13 के तहत चिकित्सा महाविद्यालय,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

रायपुर भेजा गया, जहाँ से प्रतिवेदन प्र.पी./14 प्राप्त हुई। तत्पश्चात् विवेचक द्वारा देहाती नालिश (प्र.पी./12) प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।

(3) विवेचना पूर्ण होने के पश्चात् अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बलौदा बाजार के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय को अभिसंपित किया, जहाँ से प्रकरण अंतरण पर माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को प्राप्त हुआ।

(4) अभियोजन ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने हेतु कुल 14 साक्षियों का परीक्षण किया। अभियुक्त का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध आए साक्ष्य का खंडन करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया तथा यह कहा कि मृतक अर्जुन लाल उसका मित्र था। अपने बचाव में उसने नन बाई (ब.सा.-1) का परीक्षण कराया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात्, उपर्युक्तानुसार अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए दंडित किया।

(6) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

(7) अभियुक्त की दोषसिद्धि निम्नलिखित परिस्थितियों पर आधारित है—

(i) अ.सा.7 धरमन का साक्ष्य, जो प्रत्यक्षदर्शी (आंखों देखा गवाह) है।

(ii) अभियुक्त के पास अर्जुन लाल की हत्या करने का उद्देश्य था, क्योंकि दिनांक 10-11-1992 की रात्रि में उसने अपनी पत्नी एवं अर्जुन लाल के बीच आपत्तिजनक स्थिति देखी थी।

(iii) मृतक की हड्डियाँ एवं कपड़े जंगल में पाए गए।

(iv) अभियुक्त के कथन पर कुल्हाड़ी एवं पत्थर की बरामदगी हुई।

(8) जहाँ तक प्रथम परिस्थिति का संबंध है, अ.सा.7 धरमन ने कहा है कि मृतक अर्जुन लाल उसके मामा का लड़का था। उसने कहा कि प्रातः लगभग 10 बजे वह जंगल

जा रहा था, रास्ते में अभियुक्त परमेश्वर उससे मिला और दोनों साथ में जंगल गए। इसके बाद वह झाड़ियों की टहनियाँ काटने में व्यस्त हो गया। अभियुक्त ने उससे कुल्हाड़ी माँगी, किंतु उसने देने से इंकार कर दिया। कुछ समय बाद उसे झरने की ओर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर जब वह वहाँ पहुँचा, तो उसने देखा कि अर्जुन जमीन पर पड़ा हुआ है, परमेश्वर वहाँ खड़ा है, अर्जुन की गर्दन से खून निकल रहा है और वह दर्द से तड़प रहा है। यह देखकर वह बेहोश होकर गिर पड़ा और कुछ समय बाद उसे होश आया। उस समय अभियुक्त उसके पास खड़ा था। उसने अभियुक्त से पूछा कि उसने अर्जुन की हत्या क्यों की, जिस पर अभियुक्त ने उत्तर दिया कि मृतक ने उसकी पत्नी के साथ बलात्कार कारित किया था। उसने उसे यह बात किसी को न बताने की धमकी भी दी, अन्यथा उसे भी मार डालने की बात कही। उस समय अर्जुन नीले रंग की सैंडो बनियान पहने हुए था। प्रतिपरीक्षण में उसने कहा कि लगभग एक वर्ष पूर्व वह झाड़ियों की टहनियाँ काटने जंगल गया था। उसने यह घटना अर्जुन के परिवार के सदस्यों को नहीं बताई और न ही पुलिस में कोई शिकायत दर्ज कराई। जब जंगल में खोपड़ी की हड्डी एवं बनियान मिली और अगले दिन पुलिस गाँव आई, तब भी उसने यह बात पुलिस को नहीं बताई। यह कहना गलत है कि उसने अभियुक्त को हत्या कारित करते हुए नहीं देखा। उसने यह भी कहा कि परमेश्वर ने कुल्हाड़ी से दो बार वार किया। पुलिस कथन में उसने यह बताया था कि अभियुक्त ने उसे कहा था कि उसने मृतक को अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करते देखा, किंतु उसका यह भाग उसके कथन में क्यों नहीं है, इसका वह कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका। घटना देखने के बाद वह सीधे अपने घर चला गया और घर पहुँचकर सो गया। उसने यह बात अपनी माँ को भी नहीं बताई। उपरोक्त परिस्थितियों के आधार पर उसका साक्ष्य संदेहास्पद प्रतीत होता है, निम्न कारणों से—

यह अत्यंत असामान्य है कि यद्यपि मृतक इस साक्षी का निकट संबंधी था, फिर भी उसने इस तथ्य को अपने मामा, जो मृतक के पिता हैं, अथवा परिवार के अन्य सदस्यों को नहीं बताया, अतः उसके कथन पर विश्वास नहीं किया जा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सकता। इसके पश्चात भी उसने यह बात किसी को नहीं बताई। जब पुलिस गाँव में आई, तब भी उसने यह तथ्य पुलिस को नहीं बताया। इस साक्षी का यह आचरण संदेहास्पद है। अभिलेख पर यह भी नहीं आया है कि उसने पहली बार कब पुलिस को यह बताया कि उसने घटना देखी थी, अथवा पुलिस को यह जानकारी कैसे मिली कि अ.सा.7 धरमन ने घटना देखी थी। अतः इस साक्षी का साक्ष्य न्यायालय के विश्वास को प्रेरित नहीं करता। ऐसे साक्ष्य पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता।

(9) जहाँ तक उद्देश्य का प्रश्न है, अभियोजन का कथन है कि दिनांक 10-11-1992 को अभियुक्त ने मृतक को अपने घर में देखा तथा अपनी पत्नी और मृतक के बीच आपत्तिजनक स्थिति देखी, जिसके कारण अभियुक्त के पास हत्या कारित करने का उद्देश्य था। अ.सा.2 फिरतराम, जो मृतक का पिता है, ने कहा कि दिनांक 10-11-1992 को उसके घर पर रामायण पाठ का आयोजन था और उसी रात अर्जुन घर से चला गया। चंदन सिंह ने उसे बताया कि अभियुक्त ने उसे कहा था कि 10-11-1992 की रात अर्जुन उसके घर में घुसा था और उसने उसे पकड़ने का प्रयास किया, किंतु वह भाग गया। किन्तु, अभियोजन द्वारा चंदन सिंह का परीक्षण नहीं किया गया, जिससे परिस्थितियों की कड़ी पूर्ण नहीं होती। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य फिरतराम द्वारा दी गई मर्ग सूचना (प्र.पी./1) में भी उल्लेखित नहीं है। अतः स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध इस अपराध को करने हेतु उद्देश्य सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(10) जहाँ तक घटनास्थल से खोपड़ी की हड्डी एवं कपड़ों की बरामदगी का संबंध है, अ.सा.14 डॉ. एस.के. दास ने कहा कि दिनांक 11-03-1993 को वे चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत थे और उनके समक्ष परीक्षण हेतु खोपड़ी की हड्डी प्रस्तुत की गई। परीक्षण के पश्चात उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि खोपड़ी की हड्डी लगभग 40-50 वर्ष आयु के व्यक्ति की है। उस खोपड़ी पर कोई चोट का निशान नहीं था। अन्य हड्डियों का भी परीक्षण किया गया, जिनमें से केवल 2 हड्डियाँ मानव की थीं, शेष पशुओं की थीं। मर्ग सूचना (प्र.पी./1) के अनुसार घटना के

समय अर्जुन लाल की आयु 21 वर्ष थी। अतः अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा कि जंगल से बरामद खोपड़ी की हड्डी अर्जुन लाल की ही थी। जहाँ तक कपड़ों की बरामदगी का प्रश्न है, वे दिनांक 08-03-1993 को, अर्थात् लगभग 3 माह 10 दिन पश्चात, खुले स्थान से जंगल में बरामद किए गए। अतः केवल कपड़ों की ऐसी बरामदगी के आधार पर, बिना अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य के, अभियुक्त को इस अपराध से जोड़ना संभव नहीं है।

(11) जहाँ तक अभियुक्त के कथन पर कुल्हाड़ी एवं पत्थर की बरामदगी का प्रश्न है, उस प्रकार की कुल्हाड़ी सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। अभिलेख पर ऐसा कोई एफ.एस.एल. या सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि उस कुल्हाड़ी पर मानव रक्त पाया गया था। इसी प्रकार, अभियुक्त के कथन पर जो पत्थर बरामद किया गया, ऐसे पत्थर सामान्यतः जंगल में पाए जाते हैं। उस पत्थर पर भी मानव रक्त पाए जाने संबंधी कोई एफ.एस.एल. अथवा सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। अतः कुल्हाड़ी एवं पत्थर की मात्र बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को इस अपराध से जोड़ना संभव नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) उपर्युक्त कारणों के आधार पर यह स्पष्ट है कि अभियोजन यह सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है कि अभियुक्त ही उक्त अपराध, अर्थात् अर्जुन लाल की हत्या का कर्ता है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए दिए गए दोषसिद्धि एवं दंडादेश को बनाए नहीं रखा जा सकता।

(13) परिणामस्वरूप, यह अपील स्वीकार की जाती है। अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 302 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। फलस्वरूप, उसके विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 302 के अंतर्गत अधिरोपित दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किए जाते हैं। यह बताया गया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी वर्ष 1993 से जेल में निरुद्ध है, अतः यदि वह किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हो, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

सही/-
(एल.सी. भादू)
न्यायाधीश

सही/-
(धीरेंद्र मिश्रा)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur